दिनांक–31.07.2023

वाद पुकारा गया। पुकार पर अभियुक्त राशिद मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) उपस्थित।

पत्रावली का परीशीलन किया। पत्रावली के परीशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में दिनांक 04.03.2020 को अभियुक्त राशिद के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 307 भा०दं०सं० विरचित किया गया था, किन्तू आज दिनांक तक प्रस्तुत वाद में कोई साक्षी अभियोजन की तरफ से परीक्षित नहीं कराया गया है। अतः अभियोजन को निर्देशित किया जाता है कि अभियोजन आगामी नियत तिथि पर प्रस्तुत वाद में साक्षी प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। साक्षी विवेचक उपनिरीक्षक संजीव कुमार व साक्षी ज्ञानेंद्र कुमार जरिये समन तलब हों।

संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि न्यायालय द्वारा भेजी जा रही आदेशिकाओं पर तामील कराकर साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें। पत्रावली दिनांक 17.08.2023 को वास्ते अभियोजन साक्ष्य पेश हो।